दवा विक्रेताओं का एक दिन का देशव्यापी बंद
माननीय हाई कोर्ट दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर गंभीर है लेकिन सरकार इससे अनभिज्ञ नजर आ रही है – जे.एस. शिंदे

नई दिल्ली 2 नवंबर 2016. ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआइओसीडी) देश में दवाओं की बिक्री एवं वितरण में संलग्न 8 लाख सदस्यों का सर्वोच्च निकाय है। एआइओसीडी ने ई–फार्मेसी यानी इंटरनेट के माध्यम से दवाओं की बिक्री को नियमित करने की दिशा में उठाये गये केन्द्र सरकार के कदम का विरोध किया है।

एआइओसीडी ने **बुधवार, 23 नवंबर 2016 को देशव्यापी केमिस्ट बंद** की घोषणा की है ताकि जनता, सरकारी और संबंधित प्रशासन का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित किया जा सके।

1. वर्तमान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स ऐक्ट 1940 और रूल्स 1945 के अनुसार इंटरनेट पर दवाओं की बिक्री पूरी तरह अवैध है
2. यह एडवर्स ड्रग रिएक्शन (एडीआर) का जोखिम बढ़ाता है
3. न्यून गुणवत्ता, मिसब्रांडेड एवं नकली दवाओं के प्रवेश के लिए आसान मार्ग
4. दवाओं के गलत इस्तेमाल का बड़ा जोखिम
5. इंटरनेट के जरिये शेड्यूल एवं प्रेस्क्रिप्शन की आसान उपलब्धता के कारण युवाओं में दवाओं की लत लगने का बड़ा खतरा
6. 8 लाख केमिस्टों एवं लगभग 80 लाख कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए आर्थिक झटका
7. ग्रामीण भारत में दवाओं की गैर–उपलब्धता का खतरा
8. पेशेंट काउंसलर के रूप में फार्मेसिस्ट की भूमिका को खत्म करना खतरनाक है। फार्मेसिस्ट डॉक्टर एवं मरीज के बीच लिंक के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

श्री जे.एस. शिंदे– प्रेसिडेंट–एआइओसीडी ने आगे कहा कि,

हमें लगता है कि विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और इंटरनट ई–फार्मेसी के लिए द्वार खुलने से; भारत जैसे देशों की तुलना इसके वर्तमान कानूनों एवं गवर्नेंस के साथ विकसित देशों से नहीं की जा सकती। इसके लिए देश को अपने कानून में बदलाव करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय हाई कोर्ट जनता के स्वास्थ्य पर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के प्रभाव पर बहुत गंभीर नजर आता है। इसी समय विभिन्न सबूतों एवं अनेक वेबसाइट की बिक्री की गैरकानूनी गतिविधियों के सामने आने के बावजूद; सरकारी प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है और जन स्वास्थ्य से संबंधित इस मुद्दे के प्रति पूरी तरह अनजान नजर आता है।

हमें भी उन्नत देशों द्वारा ई–फार्मेसी व्यावसाय में पाये गये जोखिमों एवं खतरों का पूरी तरह से अध्ययन करना चाहिये। यह देश बेहतर सुशासन सहित सख्त आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मैन पावर के साथ इंटरनेट फार्मेसी की अनुमति देते हैं।

हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी कंपनियों के हित की संरक्षा के लिए ई–फार्मेसी की पेशकश 8 लाख केमिस्टों और 80 लाख कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के हित को नुकसान पहुंचायेगी।

वर्तमान में ऑनलाइन फार्मेसी अवैध तरीके से चल रही है और सरकारी प्रशासन उनके खिलाफ ड्रग अथॉरिटीज को जमा कराये गये प्रमाणित सबूतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

इंटरनेट ऑनलाइन फार्मेसीज द्वारा सभी प्रेस्क्रिप्शन एवं शेड्यूल दवाईयों जैसे कि एंटी–डिप्रेशन, हैबिट फॉर्मिंग दवायें, आइ–पिल, एमटीपी किट्स, कोडीन कफ सिरप की आपूर्ति की जा रही है। इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन और मरीज की विश्वसनीयता की कोई पुष्टि नहीं की जाती जोकि अवैध प्रक्रिया का शिकार बनते हैं।

श्री जे.एस. शिंदे– प्रेसिडेंट–एआइओसीडी ने कहा कि हमारे पास आम जनता के साथ–साथ हमारे सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए हड़ताल पर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

******